राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नीमकाथाना सीकर

न्यायालय बइजलास अनिल कुमार (आर.ए.एस) अति0 जिला कलक्टर, नीमकाथाना सीकर
पीठासीन अधिकारी का नामः—अनिल कुमार (आर.ए.एस)
अपील संख्याः— 20/2022

उनवान

1. महावीर पुत्र रामेश्वर
2. मातादीन पुत्र रामेश्वर समस्त जाति ब्राहमण निवासी मण्डोली तहसील नीमकाथाना

———अपीलान्ट

बनाम

1. मोहन पुत्र रामेश्वर जाति ब्राहमण निवासी मण्डोली तहसील नीमकाथाना सीकर
2. भूमिधारी जरिये तहसीलदार तहसील कार्यालय नीमकाथाना जिला सीकर (राज0)

———रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश क्रमांक भू.अ./17/8346—47 दिनांकित 19.12.2017 बाबत आपसी सहमति से खातो का बंटवारा कार्यालय तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर

उपस्थितः— श्री गिरधारी लाल बागड़ी ————अपीलान्ट
श्री सुरेश कुमार सैनी ————रेस्पोडेन्ट्स सं. 01

निर्णय **दिनांकः—** 2-8-2022

संक्षेप में अपील अपीलान्ट इस प्रकार है कि भूमि खसरा न0 182 रकबा 0.67 है. खसरा न. 183 रकबा 0.28 है., खसरा न. 184 रकबा 0.48 है., खसरा न. 193 रकबा 0.39 है., खसरा न. 194 रकबा 0.35 है., खसरा न. 195 रकबा 0.62 है. कुल किता 6 कुल रकबा 2.79 है. तन ग्राम मण्डोली तहसील नीमकाथाना में स्थित है। जिसकी खातेदारी रिकॉर्ड जमाबन्दी में संवत् 2071—2074 तक अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज चली आ रही है। उक्त भूमि के आपसी सहमति से बटवारे बाबत अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट न0 01 ने हल्का पटवारी से सम्पर्क किया एवं अपनी खातेदारी भूमि को मौके पर काबिज अनुसार बंटवारा बाबत निवेदन किया। जिस पर पटवारी हल्का ने अपीलान्टस् व रेस्पोडेन्ट न. 01 के हस्ताक्षर करवाकर बंटवारानामा भूमिधारी तहसीलदार नीमकाथाना के यहां दिनांक 19.12.2017 को तस्दीक करवा दिया गया। लेकिन उक्त बंटवारा मौके कि वास्तविक स्थिति के अनुसार ना किया जाकर मौके विपरित कर दिया।

अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट नं. 01 अपनी उपरोक्त खातेदारी भूमि में निम्न प्रकार काबिज रहें हैं व वर्तमान में भी हैं—

क्रम संख्या	नाम खातेदार	खसरा न.	रकबा	लगानी
1.	मोहन पिता रामेश्वर कौम ब्राह्मण सा. देह मण्डोली तन पुरानाबास	702	69 है.	4.14

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.23 11:09:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

2.	महावीर पिता रामेश्वर कौम ब्राह्मण	182	0.67 है.	4.02
		184	0.48 है.	2.88
		किता 2	1.15 है.	6.90
3.	मतादीन पिता रामेश्वर कौम ब्राह्मण सा. देह	195	0.62 है.	3.72
		194	0.35 है.	2.10
		किता	रकबा 0.97 है.	5.82
4.	महावीर,मोहन, मातादीन पिता रामेश्वर कौम ब्राह्मण सा. देह	193	0.39 है.	2.34
		183	0.28 है.	1.68

उपरोक्तानुसार बंटवारानामा बाबत् आपसी सहमति से तस्दीक किया जाना था। लेकिन हल्का पटवारी द्वारा मौके विपरित बंटवारा नामा आदेश क्रमांक भू.अ./17/8346–47 से तस्दीक करवा दिया गया इसलिए उक्त आदेश निरस्तनीय है।

क्रम संख्या	नाम खातेदार	खसरा न.	रकबा	लगानी
1.	मेहन पिता रामेश्वर कौम ब्राह्मण सा. देह मंढोली तन पुरानाबास	702	0.69 है.	4.14
2.	म्हावीर पिता रामेश्वर कौम ब्राह्मण सा. देह	193	0.39 है.	2.34
		195	0.63 है.	3.72
		किता 2	रकबा 1.01 है.	6.06
3.	मातादीन पिता रोमश्वर कौम ब्राह्मण सा. देह	182	0.67 है.	4.02
		183	0.28 है.	1.68
		किता 2	रकबा 0.95 है.	5.70
4.	म्हावीर, मोहन, मातादीन पिता रामेश्वर कौम ब्राह्मण सा. देह	184	0.48 है.	2.88
		194	0.35 है.	2.10
		किता 2	रकबा 0.83 है.	4.98

उक्त विभाजन राजस्व कर्मचारी द्वारा मौके स्थिति एवं अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट 01 के काबिजानुसार तैयार कर तस्दीक नहीं किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्टस ग्रामीण पृष्ठ भूमि के रहने वाले अनपढ़ वृद्ध व्यक्ति जो राजस्व रिकॉर्ड कि इतनी जानकारी नहीं रखते है। अपीलान्ट को उक्त तथ्यों के संबंध में जानकारी दिनांक 06.01.2022 को भूमियों के रिकॉर्ड कि नकलें प्राप्त होने पर हुई। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्टस स्वीकार फरमायी जाकर रेस्पो. 02 के विभाजन आदेश क्रमांक भू.अ./17/8346–47 दिनांक 19.12.2017 निरस्त फरमाया जावें।

अपील अपीलान्ट पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कि गई एवं जरिये नोटिस रेस्पो. को तलब किया गया। अपीलान्टस एवं रेस्पो. 01 के [illegible] में राजीनामा हो गया है एवं अपील में चाही गई सहायता अनुसार अपील कि मद नं. 03 [illegible] के अनुसार स्वीकार किये जाने में रेस्पो सं. 01 को कोई आपत्ति / एतराज नहीं है एवं उभय पक्ष द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अपील को स्वीकार कर अपील कि मद नं. 03 कि उपमद

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.23 11:09:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

क के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विभाजन किये जाने एवं नया नामान्तरकरण भरे जाने बाबत् तहसीलदार नीमकाथाना को आदेश दिये जाने हेतु पेश किया। उक्त सहमति प्रार्थना–पत्र उभय पक्ष ने जरिये वकील पेश किया है।

बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बताया कि हम पक्षकारगण पटवारी हल्का को मौके पर काबिजानुसार बंटवारा करवाने बाबत् निवेदन किया जिस पर पटवारी हल्का ने अपीलान्टस व रेस्पो. सं. 01 के हस्ताक्षर करवाकर सहमति से बंटवारानामा को तस्दीक करवाने हेतु तहसीलदार नीमकाथाना के समक्ष पेश किया जो दिनांक 19.12.2017 तस्दीक किया गया। अपीलान्ट द्वारा अपनी भूमि पर ऋण लेने हेतु राजस्व रिकॉर्ड कि प्रतिलिपि प्राप्त कि तब मालूम हुआ कि पटवारी हल्का द्वारा बंटवारा मौके पर काबिजानुसार ना किया जाकर विपरित किया गया। जो गलत किया गया है। जिसके कारण अपील पेश कि गई एवं अपील के द्वारा चाही गई सहायता हेतु रेस्पो. 01 द्वारा भी अपील सहमति दी गई है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर रेस्पो. नं. 02 के विभाजन आदेश दिनांक 19.12.2017 निरस्त फरमाया जावें एवं अपील में मद नं. 03 (ए) के अनुसार विभाजन कर तस्दीक करने हेतु आदेश प्रदान करें।

बहस वकील अपीलान्ट पर मनन किया गया एवं पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अपील में अंकित तथ्यों के अनुसार जो पटवारी हल्का द्वारा बंटवारानामा तैयार करते वक्त मौके पर काबिजानुसार के विपरीत जो बंटवारानामा तैयार किया गया है। जिसमें आपसी समझाईस के पश्चात पटवारी हल्का द्वारा जो बंटवारानामा तैयार किया एवं उसमें जो त्रृटि हुई वह आपसी समझाईस के समय से ही उमरदराज होने के कारण भूलवश त्रृटि होना प्रतित होती है। पत्रावली में दिनांक 01.08.2022 को जरीये वकील एक प्रार्थना–पत्र पेश कर सहमति दी गई है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि पूर्व में भी आपसी सहमति के अनुसार बंटवारा करवाया गया था। जो पटवारी हल्का द्वारा तैयार करते समय भूलवश उमरदराज होने के कारण त्रृटि होना प्रतित होता है। इसलिए न्याय हित में अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्टस स्वीकार कि जाती है एवं तहसीलदार नीमकाथाना का आदेश दिनांक 19.12.2017 अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार नीमकाथाना को अपील इस आदेश के साथ रिमाण्ड कि जाती है कि अपीलान्टस व रेस्पो. सं. 01 को पुनः सुना जाकर विधिपूर्वक बंटवारानामा तैयार करवाकर तस्दीक किया जावें।

उक्त आदेश आज दिनांक 2-8-2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.23 11:09:09 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
अति. जिला कलक्टर
नीमकाथाना सीकर

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
एवं अति. जिला मजि.
नीमकाथाना (सीकर)

Scanned with OKEN Scanner